3/7/17

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला परियोजना अधिकारी लखीमपुर–खीरी।

विज्ञप्ति

पत्रांक– आर0एम0एस0ए0/बा0छ0/ 308-16 /2017–18 दिनॉक– 24 जुलाई, 2017

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद–लखीमपुर–खीरी में अगस्त 2017 से संचालित होने वाले 03 राजकीय बालिका छात्रावासों के संचालन हेतु संविदा पर चयन हेतु निम्न विवरण के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है सभी पद 01 बालिका छात्रावास हेतु निर्धारित है।

क्र0सं0	संविदा पद	समयावधि	पदों की संख्या	मानदेय
1	वार्डन	09 माह	01	रू0 5000/– प्रतिमाह (मूल मानदेय/वेतन के अतिरिक्त)
2	मुख्य रसोईया	09 माह	01	रू0 3000/–प्रतिमाह
3	सहायक रसोईया	09 माह	02	रू0 2500/–प्रतिमाह
4	चौकीदार	09 माह	01	रू0 3000/–प्रतिमाह

वार्डन, मुख्य रसोईया व सहायक रसोईया के पदों पर महिला अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा तथा चौकीदार के पद पर पुरूष अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा।

वार्डन का चयनः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–9 व 10 की छात्राओं हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के प्रागण में होने की दशा में सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 की पूर्ण कालीन शिक्षिका में से एक शिक्षिका को वार्डन के रूप में कार्य करने हेतु चयनित किया जाय। शिक्षिका के रूप में प्राप्त मानदेय के अतिरिक्त बालिका छात्रावास में वार्डन के कार्य हेतु रू0 5000/– प्रतिमाह का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। वार्डन को छात्रावास में रात्रि निवास करना अनिवार्य है।यदि बालिका छात्रावास राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालय के प्रागण में स्थित है तो सम्बन्धित विद्यालय की चयनित महिला अध्यापिका को (रात्रि में छात्रावास में ही रहना होगा) वार्डन का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा। यह चयन भी जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। शिक्षिका के रूप में प्राप्त वेतन के अतिरिक्त बालिका छात्रावास में वार्डन के कार्य हेतु रू0 5000/– प्रतिमाह का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।वार्डन के कार्य व्यवहार के आधार पर वार्डन चयन पर 6 महीने बाद आवश्यकतानुसार पुनर्विचार किया जा सकता है।

मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चौकीदार का चयनः– बालिका छात्रावास में मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया एवं चौकीदार के पद पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की जायेगी।

अर्हताः– मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 उत्तीर्ण होगी।

आयुः– वार्डन को छोड़कर शेष सभी पदों हेतु अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को 45 वर्ष होगी, अर्थात् चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की आगामी 01 जुलाई से अधिकतम आयु का निर्धारण किया जायेगा। चयन वर्ष की 01 जुलाई को मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया एवं चौकीदार पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी, अर्थात् चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की आगामी 01 जुलाई से न्यूनतम आयु का निर्धारण किया जायेगा तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

उपरोक्तानुसार निर्धारित आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर (पूर्ण बायोडाटा व प्रमाणित फोटोग्राफ एवं समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों के साथ) इस प्रकार से भेजे कि यह दिनांक– 07.08.2017 के सायं 05:00 बजे तक प्रत्येक दशा में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला परियोजना अधिकारी लखीमपुर–खीरी में रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हो जायें। डाक विभाग द्वारा विलम्ब होने की दशा में कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी का साक्षात्कार दिनांक–09.08.2017 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सभागार में सम्पन्न होगा। तद् दिनांक को अभ्यर्थी अपने शैक्षिक एवं अन्य मूल प्रमाण पत्र सहित प्रातः 10 बजे उपस्थित हो। जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र (Admit Card) जारी नहीं किया जायेगा।

डॉ0(ओ0पी0गुप्त)
जिला विद्यालय निरीक्षक/
जिला परियोजना अधिकारी
लखीमपुर–खीरी।

पृ0सं0– आर0एम0एस0ए0/ 308-16 /2017–18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, 18 पार्क रोड लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर–खीरी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय लखीमपुर–खीरी।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल लखनऊ।
5. जिलाधिकारी लखीमपुर–खीरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) लखीमपुर–खीरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विज्ञप्ति अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. जिला परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखीमपुर–खीरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. समस्त सदस्य चयन समिति, उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखीमपुर–खीरी।
9. सम्पादक/संवाददाता दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/हिन्दुस्तान/को इस आशय से प्रेषित उपरोक्त विज्ञप्ति सूचना समाचार पत्रों में दिनांक– 24.07.2017 को फान्ट साइज 9 में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक/
जिला परियोजना अधिकारी
लखीमपुर–खीरी।